झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 10.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	**श्री विकास कुमार मुंडा स0वि0स0**	मेरे विधान सभा क्षेत्र के खूँटी प्रखंड में श्रीमती संगीता कुमारी एवं चन्दा कुमारी जो शिक्षिका हैं के विरूद्ध स्थानीय प्रमाण-पत्र को लेकर कुछ शिकायत दर्ज हुई थी जिस संदर्भ में अनुमण्डल पदाधिकारी खूँटी के ज्ञापांक-186 गो0, दिनांक- 15.03.2021 के हवाले, कार्यालय अंचल अधिकारी खूँटी के पत्रांक-205 (2) के माध्यम से जाँच हुई थी जिसके अनुसार इन दोनों का प्रमाण-पत्र 2016 में जारी गजट संख्या- 271 की कंडिका-2 की उप कंडिका-3 के माध्यम से फॉर्म में पिता के जगह पति लिखकर निर्गत की गई है एवं कुछ इसी प्रकार धनंजय कुमार पांडेय जो सरकारी कर्मी हैं का स्थानीय प्रमाण-पत्र संकल्प सं0-3198 की कंडिका-2 (1) के तहत निर्गत हुआ है जो अवैध प्रतीत होती है। कंडिका-2 (2) के अनुसार जो व्यक्ति झारखण्ड में विगत 30 वर्षो से रह सम्पत्ति अर्जित कर रहा हो उसे एवं उसकी पत्नी को झारखंडी माना जायेगा यानी झारखण्ड अलग होने के महज 8 वर्ष पूर्व से जो झारखण्ड में निवास कर रहा हो वो झारखंडी है-	**कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा**

01.	02.	03.	04.
		और इस एंटी झारखंडी नियम को हमारी पूर्ववर्त्ती सरकार ने बनाया है। महोदय आज आवश्यकता है कि पूर्व में बनाये गए इन नियमों को संशोधित कर झारखंडी हित में नियम लाने की और साथ ही साथ वो लोग जो अवैध तरीके से झारखंड का स्थानीय प्रमाण–पत्र बनवा रहे हैं। उनपर एवं सम्बंधित अधिकारियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
02–	श्री कमलेश कुमार सिंह स0वि0स0	Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and storage) Rules 2017 के अन्तर्गत पंजीकृत Mineral Dealer पलामू जिला अन्तर्गत छत्तरपुर अंचल के विजय स्टोन (रामगढ़), आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी (अर्जुनडीह), गौतम इंटरप्राईजेज (अर्जुनडीह), गोविन्द कंस्ट्रक्शन (मसीहानी चमरडीहा), पीपरा अंचल के रिद्धि–सिद्धि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट (चपरवार), गोविन्द कंस्ट्रक्शन (मड़वा) तथा हरिहरगंज अंचल के गौतम इंटरप्राइजेज (रामपुर) के द्वारा व्यापक मात्रा में अवैध पत्थर का भंडारण कर क्रशिंग का कार्य किया जा रहा है जिससे सरकारी राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है। अतः उक्त Mineral Dealer के द्वारा पत्थर क्रशिंग फार्म की खनिज भंडारण के वास्तविक की गणना करने हेतु स्थलीय जाँच कराकर भौतिक सत्यापन द्वारा सरकारी राजस्व को हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	खान एवं भूतत्व
03–	श्री सोनाराम सिंकु स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम) के अन्तर्गत नोवामुंडी प्रखण्ड के दिरीबुरू पंचायत एवं बड़ा जामदा पंचायत खनन क्षेत्र है जहाँ लगातार खनन हो रहा है। परिणामस्वरूप उक्त दोनों पंचायत में जलस्तर काफी नीचे चला गया है जिससे–	पेयजल एवं स्वच्छता

01.	02.	03.	04.
		यहाँ बोरिंग भी पूर्ण रुप से सफल नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीणों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अतः वर्णित स्थिति में कारो नदी से दिरीबुरु एवं बड़ा जामदा पंचायत में जलापूर्ति कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।	
04-	श्री अमित कुमार मंडल स0वि0स0	गोड्डा जिला अन्तर्गत जे0एस0एल0पी0एस0 गोड्डा के फुलो-झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल में निबंधित-114 समूहों की 1600 सौ सदस्यों द्वारा 17 केन्द्रो में सखी मंडल से जुड़ी महिला कामगारों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् स्कूली बच्चों के सिली पौशाक तैयार की जाती है। इन सखी मंडल ने वर्ष 2019-20 में एक लाख बहत्तर हजार स्कूली बच्चों के पोशाक तैयार कर संबंधित स्कूलों को पहुँचाया। जिसके एवज में एक वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद डेढ़ करोड़ (1.50) रूपये का भुगतान लम्बित है। वही सखी मंडल ने 50 लाख का बैंक ऋण भी लिया है। जिसका सुद बैंक में बढ़ता जा रहा है। आज उक्त सखी मंडल की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है जिस कारण अब इनके जीवन-यापन की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतः फुलो झानो सक्षम आजीविका सखी मंडल के लम्बित राशि का भुगतान कराने के लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा
05-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0 डॉ0शशिभूषण मेहता स0वि0स0 श्री अमर कुमार बाऊरी स0वि0स0	पलामू जिले के सदर प्रखण्ड के ग्राम मलय जलाशय योजना अन्तर्गत कुण्डेलवा बितरणी (पोलपोल से नऊवाढ़ोढ) की खुदाई रैयतो को बिना मुआवजा दिये हुए लगभग चार दशक पहले कर दी गई थी जिसके कारण वहाँ के रैयतों के द्वारा आन्दोलन किए जाने के पश्चात यह मौखिक आश्वासन दिया गया था कि शीघ्र ही मुआवजा का भुगतान कर दिया जाएगा, बिना मुआवजा-	जल संसाधन

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		दिये अब उस नहर का पक्कीकरण कार्य शुरु कर दिया गया है जिसके कारण प्रभावित लोगों ने उस कार्य पर रोक लगा दिया है, और मुआवजा हेतु आन्दोलनरत हैं। अतः चलते सत्र में सदन के माध्यम से मॉग करता हूँ कि उपर्युक्त रैयतों को मुआवजा यथाशीघ्र भुगतान कराना सुनिश्चित करें ताकि पक्कीकरण का कार्य पुनः प्रारंभ किया जा सके, इसके लिए मैं सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं।	

राँची,
दिनांक– 10 मार्च, 2022 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–.....1188......../वि0 स0, राँची, दिनांक 09/03/22

प्रतिः– झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एवं जल संसाधन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/03/22
(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0–प्र0ध्या0–01/2022–....1188......../वि0 स0, राँची, दिनांक– 09/03/22

प्रतिः– आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/22
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

<u>सुभाष</u>/–